रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1137] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 21, 2009/आषाढ़ 30, 1931
No. 1137] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 21, 2009/ASADHA 30, 1931

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2009

का.आ. 1799(अ).—केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2008 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है ।

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमापारीय संचलन) संशोधन नियम, 2009 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 16 में प्राधिकृत

(क) उप नियम (5) में निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु कि अनुसूची 3 के भाग ख में यथाविनिर्दिष्ट बेसल संख्या बी 1010, बी 1040, बी 1050, बी 1100, बी 1230 और बी 3020 में आने वाले परिसंकटमय अपशिष्टों के आयात की दशा में पत्तन या सीमा-शुल्क प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि लदाई के साथ प्रारूप 9 में संचलन दस्तावेज और निर्यातक देश द्वारा प्रमाणित निरीक्षण अभिकरण द्वारा जारी लदाई पूर्व निरीक्षण प्रमाण पत्र है । ";

(ख) उप नियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(6क) उप नियम (6) में अन्तर्विष्ट कोई बात अनुसूची 3 के भाग ख में यथा विनिर्दिष्ट बेसल संख्या बी 1010, बी 1040, बी 1050, बी 1100, बी 1230 और बी 3020 के अंतर्गत आने वाले परिसंकटमय अपशिष्टों को लागू नहीं होगी ;

परन्तु सीमा शुल्क प्राधिकारी, किसी समय, यदि वह आवश्यक समझे, पारेषण की निकासी से पूर्व पारेषण का यादृच्छिक निरीक्षण कर सकेगा । "

3. उक्त नियमों के नियम 18 के उपनियम (5) में "प्रारूप 10" शब्द और अंक के स्थान पर "प्रारूप 3" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

4. उक्त नियम की अनुसूची 3 में ;

(i) भाग ख में, बेसल संख्या ख 3020 के सामने स्तंभ (2) के नीचे की प्रविष्टियों में "पेपर, पेपर बोर्ड और पेपर उत्पाद अपशिष्ट****" शब्दों और चिह्नों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और चिह्न रखे जाएंगे, अर्थात् :

"पेपर, पेपर बोर्ड और पेपर उत्पाद अपशिष्ट**"

(ii) भाग ख से संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् और टिप्पण से पूर्व चिह्नों और शब्दों " ** बिना किसी अनुज्ञप्ति या निर्बंधन के देश में आयात की अनुमति है," के स्थान पर निम्नलिखित चिह्न और शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् :—

" ** वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा देश में बिना किसी अनुज्ञप्ति या निर्बंधन के आयात की अनुमति है ।"

5. उक्त नियमों में फार्म 3 में दिए गए शब्दों, अंकों, कोष्ठकों "नियम 5(6) और 22 (1) देखें" के स्थान पर "नियम 5(6), 18 (5) और 22(1) देखें, शब्दों, अंकों और कोष्ठकों को रखा जाएगा ।"

6. उक्त नियम में प्रारूप 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रारूप और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"प्रारूप 9

[नियम 15(5) नियम 16(5), नियम 16(6) देखें]

सीमापार संचलन-संचलन दस्तावेज

क्र. सं.	विवरण	निर्यातक/आयातक द्वारा दिए जाने वाले ब्यौरे
(1)	(2)	(3)
1.	(i) निर्यातकर्ता (नाम और पता)	:
	सम्पर्क व्यक्ति	:
	टेनी/फैक्स	:
	(ii) अपशिष्ट उत्पादक/** प्रवर्ग का निर्यातकर्ता (नाम और पता)	:
	सम्पर्क व्यक्ति टेली/फैक्स सहित	:
	(iii) उत्पादन का स्थल	:
2.	आयातकर्ता/पुन: चक्रणकर्ता (नाम और पता)	:
	सम्पर्क व्यक्ति टेली/फैक्स सहित	:
	एक/अधिक संचलन के अध्यधीन	:
3.	आवेदक संदर्भ संख्या के अनुरूप, यदि कोई हो	:
4.	पोत लदाई का बिल (प्रति संलग्न करें)	
5.	अपशिष्ट का अभिधान और रासायनिक संयोजन	:
6.	भौतिक लक्षण (3)	:
7.	वास्तविक मात्रा कि. ग्रा./ली.	:
8.	अपशिष्ट पहचान कोड	:
	बेसल संख्या	:
	ओ ई सी डी संख्या	:
	यू एन संख्या	:
	आई टी सी (एच एस)	:
	सीमा-शुल्क कोड (एच एस)	:
	अन्य (विशिष्ट विवरण दें)	:
9.	ओ ई सी डी वर्गीकरण (2) (क) अम्बर/लाल/अन्य (ब्यौरा संलग्न करें) (ख) संख्या	
10.	पैकिंग टाईप (3)	:
	संख्या	:
11.	यू एन वर्गीकरण	:
	यू एन पोत परिवहन का नाम	:

(1)	(2)	(3)
	यू एन पहचान संख्या	:
	यू एन वर्ग (3)	:
	एच संख्या (3)	:
	वाई संख्या	:
12.	विशेष हथालन अपेक्षाएं	:

13. **परिसंकटमय अपशिष्ट के लिए निर्यातकर्ता की घोषणा :**

मैं प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर क्र. सं. 1 से 12 में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार पूर्ण और सही है । मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि विधिक रुप से प्रवर्तनीय लिखित संविदाजन्य बाध्यताओं की बाबत करार कर लिया गया है और सीमा पारीय संचलन विनियमों/नियम भी प्रवृत्त हैं ।

तारीख : ....

नाम : ....**हस्ताक्षर :** ....

अपशिष्ट पेपर के लिए निर्यातकर्ता की घोषणा :

मैं प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर क्र. सं. 1 से 12 में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार पूर्ण और सही है । मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि विधिक रुप से प्रवर्तनीय लिखित संविदाजन्य बाध्यताओं की बाबत करार कर लिया गया है । मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि इस पारेषण में कोई परिसंकटमय अपशिष्ट, नगर अपशिष्ट अथवा जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट नहीं हैं ।

तारीख : ....

नाम : .... **हस्ताक्षर :** ....

आयातकर्ता/पुन:चक्रणकर्ता द्वारा भरा जाए

मद सं. 7

14. आयातकर्ता/पुन:चक्रणकर्ता द्वारा प्राप्त पोत लदाई

प्राप्त मात्रा ....कि. ग्रा./ली.

तारीख :..................................

नाम :...हस्ताक्षर :...................................... :

15. वसूली की रीति

आर कोड, यदि लागू हो

प्रयुक्त प्रौद्योगिकी (यदि आवश्यक हो तो ब्यौरे संलग्न करें) :

16. मैं प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर निर्दिष्ट पारेषण में एच डब्ल्यू (एम, एच और टी एम) नियमों के अनुसार उसके उनके अंतगर्त आने वाला घोषित माल के अतिरिक्त किसी भी माल का आयात नहीं किया जाएगा और न ही पुन:चक्रित किया जाएगा ।

हस्ताक्षर:..................................

तारीख :..................................

17. संचलन पर सहमति की विशिष्ट शर्तें, यदि लागू हो : (विवरण संलग्न करें)

टिप्पण :—(1) यदि एक से अधिक हों तो सूची संलग्न करें ; (2) समुचित बॉक्स में X चिह्नांकित करें ; (3) कोड पिछले (X)पर देखें सक्षम प्राधिकारी से तुरंत संपर्क करें ; (4) यदि वाहक तीन से अधिक हैं तो क्र. सं. 5 में यथा अपेक्षित जानकारी संलग्न करें ।

संचलन दस्तावेज में प्रयुक्त संक्षेपाक्षरों की सूची

प्रत्युद्धरण संक्रियाएं (क्र. सं. 7)

आर 1	ईंधन (प्रत्यक्ष भस्मीकरण से भिन्न) या ऊर्जा उत्पादन के अन्य साधनों के रूप में प्रयोग ।

आर 2 विलायक का उद्धरण/पुररुत्पादन ।

आर 3 ऐसे कार्बनिक पदार्थों का पुनरावर्तन/उद्धरण, जो विलायक के रूप में प्रयुक्त नहीं हुए हैं ।

आर 4 धातुओं और धातु सम्मिश्रणों का पुनरावर्तन/उद्धरण ।

आर 5 अन्य अकार्बनिक पदार्थों का पुनरावर्तन/उद्धरण ।

आर 6 अम्ल और समावारों का पुनरुत्पादन ।

आर 7 प्रदूषण उपशमन के लिए प्रयुक्त संघटकों का प्रत्युद्धरण ।

आर 8 उत्प्रेरकों से संघटकों का प्रत्युद्धरण ।

आर 9 प्रयुक्त तेल का पुन: परिशोधन या पहले प्रयुक्त तेल के अन्य पुनरुपयोग ।

आर 10 भूमि -अभिक्रिया जिसके परिणामस्वरूप कृषि या परिस्थितिकीय अभिवृद्धि का फायदा ।

आर 11 सं. आर 1 से 10 तक की किसी भी संक्रिया से प्राप्त अवशिष्ट पदार्थों का प्रयोग ।

आर 12 सं. आर 1 से आर 11 तक की किसी भी संक्रिया के उपस्थापन के लिए अपशिष्ट पदार्थों का आदान-प्रदान ।

आर 13 सं. आर 1 से आर 12 तक की किसी भी संक्रिया के लिए आशतित पदार्थ का संचलन ।

परिवहन के साधन (क्र. सं. 5)	पैकेजिंग की किस्म (क्र. सं. 13)	एच. सं. (क्र. सं. 14) और यू एन वर्ग (क्र. सं. 14)		
		यू एन वर्ग	एच वर्ग	पद
(1)	(2)		(3)	
आर=सड़क	1. ड्रम			
टी=ट्रेन/रेल	2. लकड़ी का पीपा			
एस=समुद्र	3. जैरीकेन	1	एच 1	विस्फोटक
ए=वायु	4. डिब्बा	3	एच 3	ज्वलनशील तरल
डब्यू =अंतर्देशीय जलमार्ग	5. बैग	4.1	एच 4.1	ज्वलनशील ठोस
		4.2	एच 4.2	ऐसे पदार्थ या अपशिष्ट जो स्वत: दहन के भागी हैं ।
	6. विविधक पैकेजिंग			
	7. दाब पात्र			
	8. प्रपंज			
	9. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	4.3	एच 4.3	ऐसे पदार्थ या अपशिष्ट जो जल के संपर्क में जाने पर ज्वलनशील गैसें उत्सर्जित करते हैं ।
		5.1	एच 5.1	आक्सीकरण
		5.2	एच 5.2	कार्बनिक पैराआक्साइडस्
		6.1	एच 6.1	विषैले (तीक्ष्ण)
		6.2	एच 6.2	संक्रामक पदार्थ
		8	एच 8	संक्षारक
		9	एच 10	हवा या जल के संपर्क में विषैले गैसों का मोचन
		9	एच 11	विषैले (विलंबित या दीर्घकालिक)
		9	एच 12	इकोटोक्सिन
		9	एच 13	अन्य सामग्री उदाहरणार्थ लीचेट,जो ऊपर सूचीबद्ध किसी भी लक्षण को रखता है, की प्राप्ति के लिए व्ययन के पश्चात् किसी भी अन्य साधन

(1)	(2)	(3)
		द्वारा समर्थ ।
भौतिक गुण (क्र. सं. 13)		1. चूर्णमय/चूर्ण 2. ठोस 3. श्यान/पेस्ट 4. पंक 5. तरल 6. गैसीय 7. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

वाई संख्या (क्र. सं. 13) बेसल कन्वेंशन के उपाबंध I और II में सूचीबद्ध अपशिष्ट के वर्गों को निर्दिष्ट करें, साथ ही ब्यौरेवार जानकारी बेसल कन्वेंशन के सचिवालय से उपलब्ध अनुदेश निदेशिका में मिल सकती है ।"

7. उक्त नियमों के प्रारूप 10 के "नियम 15(7) और नियम 16(7) देखें" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर नियम 15(5) देखें" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

[सं. 23-17/2006-एचएसएमडी]

राजीव गौबा, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण में अधिसूचना संख्यांक का. आ. 2265(अ) तारीख 24 सितम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2009

S.O. (E). 1799.—In exercise of powers conferred by Sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Hazardous Wastes (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008, namely :—

1. (1) These rules may be called the Hazardous Wastes (Management, Handling and Transboundary Movement) Amendment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Hazardous Wastes (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 16,—

(a) in sub-rule (5), the following shall be inserted, namely :

"Provided that the Port or Customs authorities shall, in case of import of hazardous wastes covered under Basel numbers B1010, B1040, B1050, B1100, B1230 and B 3020 as specified in Part B of the Schedule III, ensure that shipment is accompanied by the Movement Document in Form 9 and preshipment inspection certificate issued by the inspection agency certified by the exporting country.";

(b) after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely :

"(6A) Nothing contained in sub-rule (6) shall apply to the hazardous wastes covered under the Basel numbers B1010, B1040, B1050, B1100, B1230 and B 3020 as specified in Part B of the Schedule III:

Provided that the Customs authority may, at any time if it considers necessary, make random inspection of the consignment prior to clearing the consignment.".

3. In the said rules, in rule 18, in sub-rule (5), for the word and figure "Form 10", the word and figure "Form 3" shall be substituted.

4. In the said rule, in Schedule III,—

(i) in Part B, against Basel number B3020, in the entries under column (2), for the words and signs "Paper, paperboard and paper products wastes ****", the following words and signs shall be substituted, namely :—
"Paper, paperboard and paper product wastes **";

(ii) after the entries relating to Part B and before the Note, for the signs and words

"** Import permitted in the country without any license or restriction" the following signs and words shall be substituted, namely :—

"** Import permitted in the country by the actual users without any license or restriction."

5. In the said rules, in Form 3. For the words, figures and brackets "See rules 5(6) and 22(1)", the words, figures and brackets" See rules 5(6), 18(5) and 22 (1)" shall be substituted.

6 .In the said rule, for the Form 9 and the entries relating thereto, the following Form and entries shall be substituted, namely :—

"FORM - 9

[See rules 15 (5), 16 (5), 16 (6)]

TRANSBOUNDARY MOVEMENT-MOVEMENT DOCUMENT

S. No.	Description		Details to be furnished by the Exporter/Importer
1.	(i) Exporter (Name and Address) Contact person Tel/Fax	:	
	(ii) Waste Generator /Exporter for ** category (name and address) :	:	
	Contact person with Tel./Fax	:	
	(iii) Site of generation (excluded for**category)	:	
2.	Importer/recycler (name and address) Contact person with TeL/Fax Movement subject to single/multiple	:	
3.	Corresponding to applicant Ref. No. if any	:	
4.	Bill of lading (attach copy)	:	
5.	Designation and chemical composition of the waste	:	
6.	Physical characteristics (3)	:	
7.	Actual quantity kg/litre	:	
8.	Waste identification code Basel No OECD No. UN No. ITC (HS) Customs Code (H.S.) Other (specify)		
9.	OECD Classification (2) (a) amber/red/other [attach details] (b) number		
10.	Packaging Type (3) Number		
11.	UN Classification UN Shipping name UN Identification No. UN Class (3) H Number (3) Y Number		
12.	Special handling requirements		
13.	**Exporter's declaration for hazardous waste:** I certify that the information in Sl. No. 1 of 12 above		

S. No.	Description	Details to be furnished by the Exporter/Importer
	is complete and correct to my best knowledge. I also certify that legally-enforceable written contractual obligations have been entered into and are in force covering the transboundary movement regulations/Rules. Date:............... Signature:................ Name:............................... **Exporter's declaration for waste paper:** I certify that the information in Sl. No. 1 of 12 above is correct to the best of my knowledge. I also certify that legally-enforceable written contractual obligations have been entered into. I also certify that the consignment does not have any Hazardous waste, Municipal waste or Biomedical waste. Date: Signature: Name:	

TO BE COMPLETED BY IMPORTER/RECYCLER

Item No. 7

14.	Shipment received by Importer/Recycler Quantity received.................... Kg/litres Date: Name: Signature	
15.	Methods of Recovery R Code if applicable Technology employed (Attached details if necessary)	
16.	I certify that nothing other than declare goods covered as per HW (M, H and TM) Rules is intended to be imported in the above referred consignment and will be recycled. Signature : Date:	
17.	SPECIFIC CONDITIONS ON CONSENTING TO THE MOVEMENT if applicable.	(attach details)

Notes :—(1) Attach list, if more than one; (2) Enter X in appropriate box; (3) See codes on the reverse (x) Immediately contact Competent Authority; (4) If more than three carriers, attach information as required in Sl. No. 5.

List of abbreviations used in the Movement Document

Recovery Operations (S. NO. 7)

R 1 Use as a fuel (other than in direct incineration) or other means to generate energy

R 2 Solvent reclamation/regeneration

R 3 Recycling/reclamation of organic substances which are not used as solvents

R 4 Recycling/reclamation of metals and metal compounds

R 5 Recycling/reclamation of other inorganic materials

R 6 Regeneration of acids or bases

R 7 Recovery of components used for pollution abatement

R 8 Recovery of components from catalysts

R 9 Used oil re-refining or other reuses of previously used oil

R 10 Land treatment resulting in benefit to agriculture or ecological improvement

R 11 Uses of residual materials obtained from any of the operations numbered R 1 to R 10

R 12 Exchange of wastes for submission to any of the operations numbered R 1 to R 11

R 13 Accumulation of material intended for any operation numbered R 1 to R 12

MEANS OF TRANSPORT (Sl. No. 5)	PACKAGING TYPES (Sl. No. 13)	H NUMBER (S.No.14) AND UN CLASS (Sl. No. 14)		
1	2	3		
R = Road	1. Drum	**UN Class**	**H Number**	**Designation**
T= Train/Rail	2. Wooden barrel			
S=Sea	3. Jerrican	**1**	**H 1**	Explosive
A = Air	4. Box	**3**	**H 3**	Inflammable liquids
W=Inland Waterways	5. Bag	**4.1**	**H 4.1**	Inflammable solids
	6. Composite packaging	**4.2**	**H 4.2**	Constituents or wastes liable to spontaneous combustion
	7. Pressure receptacle 8. Bulk 9. Other (specify)	**4.3**	**H 4.3**	Constituents or wastes which, in contact with Water emit inflammable gases
		5.1	**H 5.1**	Oxidizing
		5.2	**H 5.2**	Organic peroxides
		6.1	**H 6.1**	Poisonous (acute)
		6.2	**H 6.2**	Infectious wastes
		8	**H 8**	Corrosives
		9	**H 10**	Liberation of toxic gases in contact with air or water
		9	**H 11**	Toxic (delayed or chronic)
		9	**H 12**	Ecotoxic
		9	**H 13**	Capable, by any means, after disposal of yielding another material e.g.leachate, which possesses any of the characteristics listed above

PHYSICAL CHARACTERISTICS (Sl. No. 09)

1. Powdery/powder
2. Solid
3. Viscous/paste
4. Sludge
5. Liquid
6. Gaseous
7. Other (specify)

Y Number (S.No.13) refer to categories of waste listed in Annexure I and II of the Basel Convention as well as more detailed information can be found in an instruction manual available from the Secretariat of the Basel Convention".

7. In the said rules, in Form 10, for the words, brackets and figures "See rules 15 (5) and 16 (5)", the words, brackets and figures "See rule 15(5)" shall be substituted.

[No. 23-17/2006-HSMD]

RAJIV GAUBA, Jt. Secy.

Note :—The principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification number S.O. 2265(E), dated the 24th September, 2008.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.